

कार्यालय जिला पंचायत डिण्डौरी
आम सूचना

क्रमांक/पंचा.प्रको./जि.पं./13/ 5815

डिण्डौरी दिनांक 27/8/2013

- सर्व सधारण को सूचित किया जाता है कि श्री देवेन्द्र कुमार परस्ते तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत माधोपुर जनपद पंचायत समनापुर के संबध में प्राप्त शिकायत की जाँच पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक जनपद पंचायत समनापुर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 19.09.11 के तहत प्राप्त विभिन्न अनियमितताओं के कारण कलेक्टर जिला डिण्डौरी के आदेश क्र0/704 दिनांक 17.02.12 से श्री देवेन्द्र कुमार परस्ते तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत माधोपुर के वित्तीय अधिकार निलम्बित किये गये थे।
- 2 श्री देवेन्द्र कुमार परस्ते के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समनापुर के माध्यम से पत्र क्र0/1271 दिनांक 11.01.13 प्रस्तुत किया गया है जिसमें निलम्बन से बहाल किये जाने की अनुशंसा की गई है ।
 - 3 इस कार्यालय द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समनापुर को भेजे गये पत्र क्र0/1567 दिनांक 27.02.13 से श्री देवेन्द्र कुमार परस्ते निलम्बित सचिव ग्राम पंचायत माधोपुर के वित्तीय अधिकार बहाल करने बावद विस्तृत प्रतिवेदन विन्दु क्र 01 से 08 तक की अद्यतन स्थिति चाही गई थी ।
 - 4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समनापुर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पत्र क्र. 265 दिनांक 21.5.13 से श्री देवेन्द्र कुमार परस्ते निलम्बित सचिव ग्राम पंचायत माधोपुर के वित्तीय अधिकार बहाल करने की अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया है

अतः म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनयम 1993 की धारा 69 (1) के तहत श्री देवेन्द्र कुमार परस्ते को ग्राम पंचायत माधोपुर जनपद पंचायत समनापुर के वित्तीय अधिकार बहाल किये जाने है ।

उपरोक्त के संबध में यदि किसी को दावा आपत्ति की जाना है तो जाहीर आम सूचना के दिनांक से 07 दिवस के अंदर कार्यालयीन समय पर दावा आपत्ति जिला पंचायत कार्यालय में किया जा सकता है । अन्यथा यह माना जावेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं श्री देवेन्द्र कुमार परस्ते को कलेक्टर जिला डिण्डौरी के द्वारा वित्तीय अधिकार बहाल करने की कार्यवाही की जायेगी।
(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पं. द्वारा अनुमोदित)

परियोजना अधिकारी

जिला पंचायत डिण्डौरी

डिण्डौरी दिनांक 27/8/2013

क्रमांक/पंचा.प्रको./जि.पं./13/ 5815A
प्रतिलिपि

- 1 कलेक्टर जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- 2 जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र डिण्डौरी की ओर प्रेषित कर लेख है कि एनआईसी की बेवसाइटमें पत्र अपलोड करने का कष्ट करें।
- 3 जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशन कराये जाने हेतु ।

परियोजना अधिकारी

जिला पंचायत डिण्डौरी